न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2026(GCMS 2026/6)
(RTI No. 2125438467831 22)

श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नम्बर 01, तहसील अनूपगढ़–335701 जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 97722–98752)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2025 से तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री उम्मेद सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1 सुमन पुत्री महावीर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह निवासी 101 आर.सी.पी. ग्रीफ पुराना वार्ड नं. 01 नया वार्ड नं. 45, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का आपके कार्यालय द्वारा सुमन को जारी किया गया परित्याग प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति अविलम्ब उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।
2. सुमन पुत्री महावीर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह द्वारा स्वयं का परित्याग प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आपके कार्यालय में दिये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अविलम्ब उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2026/629 दिनांक 03.02.202[illegible] [illegible] को जवाब प्रेषित करते हुए निवेदन किया है कि उनके [illegible] /2005/615 दिनांक 28.11.2025 से अपीलार्थी को [illegible] सूचना प्रेषित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्र सूकाअ/2005/615 दिनांक 28.11.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त **विषय** लेख है **कि** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2025 में आप द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी :

1	सुमन पुत्री महावीर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह निवासी 101 आर.सी.पी. ग्रीफ पुराना वार्ड नं. 01 नया वार्ड नं. 45, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का आपके कार्यालय द्वारा सुमन को जारी किया गया परित्याग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अविलम्ब उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।	चाही गई सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय में अभिलेख जिस कदर संधारित है, प्रार्थी व्यतिशः उपस्थित आकर नियमानुसार निरीक्षण शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर अभिलेख प्राप्त किया जा सकता हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ना तो सूचना सृजित करके दी जा सकती है और ना ही सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधकारी का काम नहीं है। इस संदर्भ में रिट पिटिशन संख्या 419/2007 डा. सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य सूचना का आयोग प्रकरण में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2008 भी अवलोकनीय है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध है। सूचना के रूप में लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते है और ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व यहां तक है कि वह आवेदक को समाग्री उसी रूप मे प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।
2	सुमन पुत्री महावीर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह द्वारा स्वयं का परित्याग प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आपके कार्यालय में दिये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अविलम्ब उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।	

लोक सूचना अधिकारी एवं [illegible] अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधि**[illegible]**म 2**[illegible] की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस** [illegible] **अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है,** जो निश्चित अभिले[illegible] में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि** अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:48 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर